Toppersnotes®
Unleash the topper in you

BPSC

TRE 4.0

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

भाग - 4 (द)

मध्य विद्यालय शिक्षक (सामाजिक विज्ञान)

राजनीति शास्त्र

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	संविधान की मूल संरचना	1
2	संसदीय प्रणाली	5
3	संघीय प्रणाली	7
4	केन्द्र राज्य संबंध	10
5	अंतर्राज्यीय संबंध	20
6	आपातकालीन प्रावधान	24
7	राष्ट्रपति	28
8	उपराष्ट्रपति (उपाध्यक्ष)	34
9	प्रधान मंत्री	36
10	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्	38
11	संसद	42
12	राज्यपाल	71
13	मुख्यमंत्री	75
14	राज्यमंत्री परिषद	77
15	राज्य विधानमंडल	79
16	कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान	88
17	केंद्र शासित प्रदेश	91
18	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	93
19	नगरपालिका, नगर निगम	95
20	भारतीय न्यायिक प्रणाली	101
21	संवैधानिक निकाय	117
22	गैर–संवैधानिक उपाय	132
23	अन्य संवैधानिक आयाम	147

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	157
25	निर्वाचन	159
26	राष्ट्रीय एकीकरण	170

1 CHAPTER संविधान की मूल संरचना

उद्भव

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय** द्वारा पुनरावर्त अवधारणा
- संविधान में कोई भी संशोधन जो इसके मूल ढांचे को बदलने की कोशिश करता है, अमान्य है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान में कहीं भी "मूल संरचना" शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।
- **<u>संविधान की मूल संरचना का उदय:</u>**

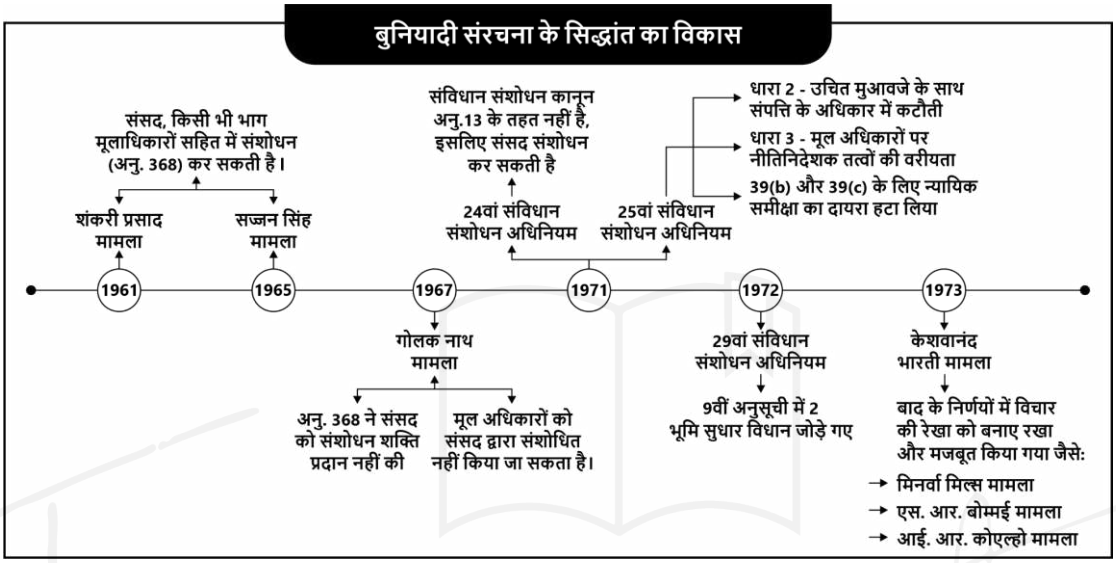

- सबसे पहले जस्टिस **मुधोलकर ने सज्जन सिंह मामले (1965) में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 1963** के निर्णय का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया।
- **1973 में केशवानंद भारती मामले में पहली बार मान्यता मिली।**
- **उच्चतम न्यायालय- संविधान के दुभाषिया और संसद द्वारा किए गए सभी संशोधनों का मध्यस्थ।**
- **<u>मूल संरचना विकसित करने वाले मामले:</u>**
  - **<u>शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)</u>**
    - ✓ **पृष्ठभूमि:** संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले पहले संशोधन अधिनियम (1951) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
    - ✓ **निर्णय:** उच्चतम न्यायलय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
    - ✓ अनुच्छेद 13 में 'कानून' शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल हैं, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम।
    - ✓ इसलिए, संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है और ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा।
  - **<u>गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य (1967)</u>**
    - ✓ **पृष्ठभूमि:** पंजाब में एक समृद्ध जमींदार ने 17वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1964 को चुनौती दी (शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले के समान आधार)
    - ✓ **कोर्ट का फैसला:** सुप्रीम कोर्ट ने पहले के सभी फैसलों को उलट दिया।
    - ✓ **अनुच्छेद 13(2) के तहत संवैधानिक संशोधन 'कानून' हैं।**
    - ✓ मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकता
    - ✓ संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार तक नहीं है

- ✓ अनुच्छेद 368 केवल संविधान को बदलने के लिए एक विधि है, जिसमें 'शक्ति' शब्द का उल्लेख नहीं है।
- ✓ अवशिष्ट सिद्धांत के कारण संसद ने गलत तरीके से शक्तियाँ ग्रहण की।
- ✓ **संसद की प्रतिक्रिया: 24वां संशोधन अधिनियम (1971) अधिनियमित किया गया।**

24वाँ संशोधन अधिनियम (1971):

- **संशोधित अनुच्छेद 13 और 368 ।**
- घोषित किया कि संसद के पास **अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार** को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा **अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा।**

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)**
  - ☞ **मौलिक अधिकार मामला:**
  - ☞ **पृष्ठभूमि:** केरल में संत (अन्य प्रभावित लोग भी बाद में शामिल हुए) **29वें संशोधन अधिनियम , 1971 को चुनौती दी (केरल भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची** में जोड़ा गया)
  - ☞ **न्यायालय का निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ मामले (1967) में अपने फैसले को खारिज कर दिया।
    - ✓ 24वें संशोधन अधिनियम (1971) की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने का अधिकार है।
    - ✓ संविधान की 'बुनियादी संरचना' (या 'बुनियादी विशेषताएं') का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया।
    - ✓ फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति इसे संविधान के 'मूल ढांचे' को बदलने में सक्षम नहीं बनाती है।
    - ✓ संसद संविधान के 'बुनियादी ढांचे' का हिस्सा बनने वाले मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है।
- **इंदिरा नेहरू गांधी मामला (1975)**
  - ☞ **चुनावी मामला:**
  - ☞ **निर्णय: उच्चतम न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम (1975)** के एक प्रावधान को अमान्य कर दिया, जिसने सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से पीएम और लोकसभा के अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को बाहर रखा।
    - ✓ कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधन शक्ति से परे है क्योंकि इसने संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किया है।
  - ☞ **संसद की प्रतिक्रिया: 42वाँ संशोधन अधिनियम (1976) अधिनियमित**
    - ✓ अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और घोषित किया कि संसद की घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है और किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में किसी भी संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
  - ☞ **मूल संरचना के तत्व (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है):**
    - ✓ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत
    - ✓ किसी व्यक्ति की स्थिति और अवसर की समानता
    - ✓ धर्मनिरपेक्षता और अंतर्रात्मा और धर्म की स्वतंत्रता
    - ✓ कानूनों की सरकार और पुरुषों की नहीं (यानी, कानून का शासन)
    - ✓ न्यायिक समीक्षा
    - ✓ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में निहित है
- **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ(1980) मामला:**
  - ☞ **न्यायालय ने 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम** को अमान्य कर दिया क्योंकि इसने न्यायिक समीक्षा को बाहर कर दिया जो कि संविधान की एक 'बुनियादी विशेषता' है।
  - ☞ **न्यायालय का निर्णय:** संसद, **अनुच्छेद 368 के तहत, अपनी संशोधन शक्ति का** विस्तार नहीं कर सकती है ताकि संविधान को निरस्त करने या इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट करने का अधिकार स्वयं प्राप्त कर सके।
  - ☞ **मूल संरचना के तत्व:**
    - ✓ संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति
    - ✓ न्यायिक समीक्षा
    - ✓ मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन
- **वामन राव मामला (1981):**
  - ☞ **उच्च न्यायालय** ने मूल संरचना सिद्धांत का पालन किया।
  - ☞ **स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल, 1973 (यानी केशवानंद भारती मामले में फैसले की तारीख)** के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा।

मूल संरचना के घटक

- **संविधान का अनुच्छेद 368** संसद को संविधान के **"मौलिक ढांचे"** को नुकसान पहुंचाए बिना **मौलिक अधिकारों** सहित संविधान के किसी भी तत्व को बदलने की अनुमति देता है।
- **उच्चतम न्यायालय ने** अभी तक परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया है कि **संविधान की "मूल संरचना" में** क्या शामिल है।
- **संविधान की 'बुनियादी संरचना' के तत्व:**
  - संविधान की सर्वोच्चता
  - भारतीय राज्य व्यवस्था का संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप
  - संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र

- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
- संविधान का संघीय चरित्र
- देश की एकता और अखंडता
- कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)
- न्यायिक समीक्षा
- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
- संसदीय प्रणाली
- कानून का शासन
- मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन
- समानता का सिद्धांत
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति
- न्याय तक प्रभावी पहुंच
- मौलिक अधिकार अंतर्निहित सिद्धांत (या सार)
- अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां
- अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ

संविधान की मूल संरचना से संबंधित अन्य निर्णय

मामले का नाम (वर्ष)	**मूल संरचना के तत्व**
इंद्रा साहनी केस (1992)/ मंडल केस	कानून का शासन
किहोतो होलोहोन केस (1993)/ दलबदल मामला	1. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव 2. संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक संरचना
एस.आर. बोम्मई केस (1994)	1. संघवाद 2. धर्मनिरपेक्षता 3. लोकतंत्र 4. राष्ट्र की एकता और अखंडता 5. सामाजिक न्याय 6. न्यायिक समीक्षा
इंद्रा साहनी II केस19 (2000)	समानता का सिद्धांत
आई.आर. कोएल्हो केस (2007)/ IX शेड्यूल केस	1. कानून का शासन 2. शक्तियों का पृथक्करण 3. मौलिक अधिकारों में निहित सिद्धांत 4. न्यायिक समीक्षा 5. समानता का सिद्धांत

<u>शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत:</u>

- **सरकार का प्रकार जिसमें कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ** एक निकाय में केंद्रित होने के बजाय कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं।
- **संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।**

शक्तियों के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने वाले संविधान के अनुच्छेद इस प्रकार हैं -

- **अनुच्छेद 50**: राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।
- **अनुच्छेद 122 और 212**: संसद और विधानमंडलों में कार्यवाही की वैधता पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा, विधायकों को भाषण के संबंध में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और संसद में कही गई किसी भी बात का उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 121 और 211** के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती है।
- क्रमशः **अनुच्छेद 53 और 154** में प्रावधान है कि संघ और राज्य की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास निहित होगी और वे दीवानी और आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त करेंगे।

- **अनुच्छेद 361**: राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्त्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।

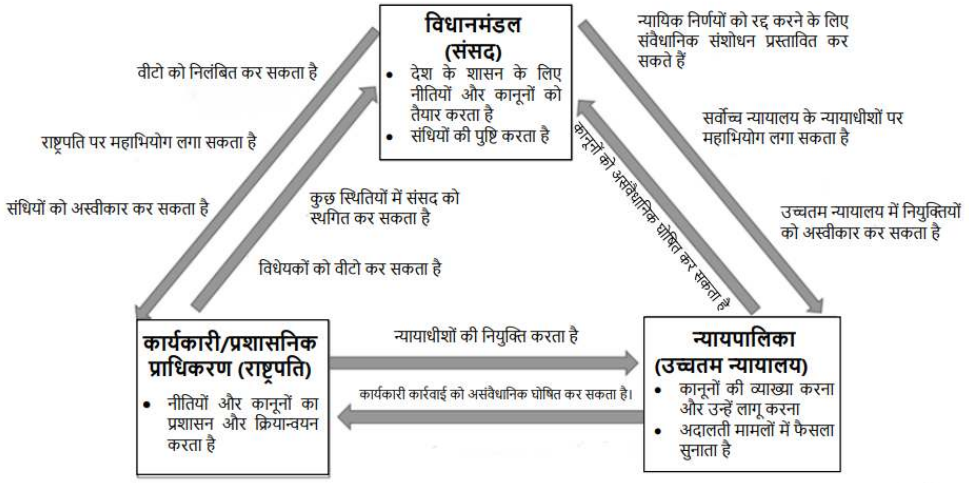

बुनियादी संरचना सिद्धांत का महत्व

- **भारतीय न्यायपालिका** के लिए शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण, एक लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक नियंत्रण और संतुलन।
- **संविधान के सार के नुकसान को रोकने के लिए संविधानवाद** के सिद्धांत की गवाही के रूप में कार्य करता है।
- **घटक शक्ति की सीमा के रूप में** कार्य या अन्यथा संसद की असीमित शक्ति ने भारत को एक अधिनायकवादी या सत्तावादी शासन में बदल दिया होगा।
- हमारे **संविधान के संस्थापकों द्वारा बनाए गए हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों** को बरकरार रखता है।
- जहां न्यायपालिका अन्य दो अंगों से स्वतंत्र है, वहां सत्ता के वास्तविक पृथक्करण को चित्रित करके लोकतंत्र को मजबूत करता है।

बुनियादी संरचना सिद्धांत की सीमाएँ

- बुनियादी संरचना का गठन करने की कोई उचित परिभाषा नहीं है।
- आलोचकों का मानना है कि यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि अनिर्वाचित न्यायाधीश एक संवैधानिक संशोधन को रद्द कर सकते हैं।
- संविधान ने "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की स्थापना की, लेकिन इसे "कानून की उचित प्रक्रिया" से बदल दिया गया, जो न्यायपालिका को किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति देता है।
- संसद पर सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में शक्तियों के संतुलन को बिगाड़ता है, और इसलिए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चोट पहुंचा सकता है।

2 CHAPTER संसदीय प्रणाली

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 74 - 75 केंद्र में** संसदीय प्रणाली से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 163-164 राज्यों में** संसदीय प्रणाली से संबंधित है।

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 74	**राष्ट्रपति** की **सहायता** और उसे **सलाह देने** के लिये मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 75	मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।
अनुच्छेद 163	**राज्यपाल** को सहायता और **सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्।**
अनुच्छेद 164	मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।

संसदीय प्रणाली

- संसद सर्वोच्च है और कार्यपालिका संसद के कुछ सदस्यों से बनी है जो इसके प्रति सीधे जवाबदेह हैं।
  - जैसे: भारत, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी आदि।
- मतदाता संसदीय प्रतिनिधियों का चयन करते हैं।
- एक ही समय में संसद के नेता भी मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं।
  - संसदीय प्रणाली में कानून के सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का कोई सिद्धांत नहीं है।

भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण

- **व्यवस्था से परिचित:**
  - ब्रिटिश शासन के समान।
- **अधिक उत्तरदायित्व को वरीयता:**
  - संविधान के मसौदे में कार्यपालिका की संसदीय प्रणाली की सिफारिश करते हुए अधिक स्थिरता की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी गई है।
- **विधायी-कार्यकारी संघर्षों से बचने की आवश्यकता:**
  - भारत जैसा नव लोकतंत्र विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक स्थायी विभाजन, प्रतिद्वंदिता, या संघर्ष, या संघर्ष की संभावना का सामना करने के लिए तैयार नहीं था।
  - देश के विविध विकास को बढ़ावा देने वाली शासन प्रणाली की आवश्यकता थी।
- **भारतीय समाज की प्रकृति:**
  - सरकार में विभिन्न वर्गों, हितों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने, लोगों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने और एक अखंड भारत का निर्माण करने के अधिक अवसर प्रदान करता है।

संसदीय सरकार की विशेषताएँ

- **राजनीतिक एकरूपता:** आमतौर पर मंत्रीपरिषद् के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के होते हैं अर्थात् एक ही राजनीतिक विचारधारा साझा करते हैं।
- **नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी**: **राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी** होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है।
- **बहुमत दल का शासन:** जिस **राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार बनाता है।**
  - **जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है,** तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए दलों के गठबंधन को आमंत्रित किया जा सकता है।
- **सामूहिक उत्तरदायित्व: मंत्री सामूहिक रूप से सामान्य रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं (अनुच्छेद 75)। (टीम के रूप में कार्य करना, जो एक साथ तैरते और डूबते हैं)।**
- **दोहरी सदस्यता: मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। (संसद के सदस्य के बिना व्यक्ति मंत्री नहीं हो सकता)।**
- **पीएम का नेतृत्व:** पीएम सरकार की इस प्रणाली में नेतृत्व की भूमिका निभाता है।
- **निचले सदन का विघटन:** संसद के निचले सदन (लोकसभा) को राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सिफारिश पर भंग किया जा सकता है।
- **गोपनीयता: मंत्री प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धान्त पर काम करते हैं** और अपनी कार्यवाही, नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं।

संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर

संसदीय प्रणाली विशेषताएँ	अध्यक्षात्मक प्रणाली विशेषताएँ
दोहरी कार्यकारी।	एकल कार्यकारी
बहुमत दल का शासन	एक निश्चित अवधि के लिए अलग-अलग चुने गए अध्यक्ष और विधायक
सामूहिक जिम्मेदारी।	व्यक्तिगत जिम्मेदारी
राजनीतिक एकरूपता	राजनीतिक एकरूपता नहीं हो सकती है।
दोहरी सदस्यता।	एकल सदस्यता
पीएम का नेतृत्व	अध्यक्ष का नेतृत्व
निचले सदन का विघटन।	निचले सदन का विघटन नहीं।
शक्तियों का संलयन	शक्तियों का विभाजन

गुण	अवगुण
विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य।	विधायिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष
जिम्मेदार सरकार।	गैर जिम्मेदार सरकार।
निरंकुशता को रोकता है।	निरंकुशता की ओर ले जा सकता है।
व्यापक प्रतिनिधित्व।	संकीर्ण प्रतिनिधित्व
अवगुण	**गुण**
अस्थिर सरकार।	स्थिर सरकार।
नीतियों की निरंतरता नहीं।	नीतियों में निश्चितता।
शक्तियों के बँटवारे के खिलाफ।	शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर।
विशेषज्ञरहित सरकार	विशेषज्ञों द्वारा सरकार

संसदीय प्रणाली के गुण

- **विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य:** कार्यपालिका और विधायिका के बीच असहमति की स्थिति कम होती है।
- **जिम्मेदार सरकार:** मंत्री अपने आयोग और आयोग के सभी कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
    - **संसद विभिन्न उपकरणों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव** आदि के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है।
- **निरंकुशता को रोकता है:** कार्यकारी अधिकार सीओएम में निहित है न कि किसी एक व्यक्ति में - कार्यपालिका की तानाशाही प्रवृत्तियों की जाँच करती है।
- **तैयार वैकल्पिक सरकार:** यदि सत्तारूढ़ दल अपना बहुमत खो देता है, तो राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है।
- **संसदीय प्रणाली में व्यापक प्रतिनिधित्व:** कार्यपालिका में व्यक्तियों का एक समूह होता है **(मंत्री जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं)**।
    - **सरकार में सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना संभव है।**

संसदीय प्रणाली के दोष

- **राजनीतिक अस्थिरता:** संसदीय प्रणाली एक स्थिर सरकार प्रदान नहीं करती है।
- गठबंधन सरकारों पर लगातार सहयोगियों का समर्थन खोने का खतरा बना रहता है।
- **नीतियों की कोई निरंतरता नहीं:** पिछली सरकार की नीतियाँ आमतौर पर नवगठित सरकार द्वारा रोक दी जाती हैं या बदल दी जाती हैं।
- **मंत्रिमंडल की तानाशाही:** जब सत्ताधारी दल को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, तो मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है और लगभग असीमित शक्तियों का प्रयोग करता है।
- **शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं:** यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, कभी-कभी लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है।
- सारी शक्ति सैद्धांतिक रूप से पीएम के हाथों में केन्द्रित होती है।

भारतीय संसदीय प्रणाली बनाम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का मॉडल

भारतीय संसदीय प्रणाली	ब्रिटिश संसदीय प्रणाली
रिपब्लिकन प्रणाली: राज्य (देश) के प्रमुख (राष्ट्रपति) का निर्वाचन किया जाता है।	**राजशाही व्यवस्था:** ब्रिटेन में राज्य के प्रमुख (राजा / रानी) को वंशानुगत स्थिति प्राप्त होती है।
भारत में संसद को **लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक** अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं	यह **संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर** आधारित है।
प्रधानमंत्री संसद के **दोनों सदनों** में से किसी का भी सदस्य हो सकता है।	प्रधानमंत्री को **संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना चाहिए।**
एक व्यक्ति जो **संसद का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया** जा सकता है, लेकिन छः महीने की अवधि के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है।	**ब्रिटेन में अकेले संसद के सदस्यों को मंत्री के** रूप में नियुक्त किया जाता है।
भारत में मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों पर प्रतिहस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।	ब्रिटेन में मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों यानी मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की प्रणाली पर प्रतिहस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
भारत में शैडो कैबिनेट मौजूद नहीं है।	**'छाया कैबिनेट' मौजूद है,** जो विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रिस्तरीय कार्यालय के लिए तैयार करने के लिए बनाई जाती है।

3 CHAPTER संघीय प्रणाली

राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार:

- **एकात्मक सरकार:** राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों में निहित सभी शक्तियाँ, यदि मौजूद हैं, तो राष्ट्रीय सरकार से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
  - **जैसे: ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली आदि।**
- **संघीय सरकार:** संविधान द्वारा ही शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है और दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
  - **जैसे: अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील आदि।**

	गणतंत्र	**संवैधानिक सरकार**
विशेषताएं	• लोग सरकार की शक्ति रखते हैं • लोगों के लिए निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं • प्रतिनिधि सभी लोगों की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं।	• एक संविधान बताता है कि सरकार कैसे संगठित और चलती है। • सरकार की शक्ति पर सीमाएं। • सरकार चलाने वाले लोगों को भी, सभी को कानूनों का पालन करना होगा।
संबंधित मूल लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांत	• लोकप्रिय संप्रभुता • प्रतिनिधि सरकार सर्वहित	• सीमित सरकार • व्यक्तिगत अधिकार • विधि का शासन
शक्तियाँ	• प्रतिनिधि सर्वहित के लिए काम करते हैं • हर किसी से निर्णय लेने की कोशिश करने की अपेक्षा अधिक कुशल • जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता बनाए रखती है • लोग उन प्रतिनिधियों को वोट देकर बाहर कर सकते हैं जो उनकी बात नहीं सुनते है।	• शक्ति या सरकार की सीमाएं व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती हैं। • सरकार कैसे चलेगी, इसके लिए एक स्पष्ट योजना है।

सीमित सरकार

- सरकार की शक्ति निरपेक्ष नहीं है।
- सरकार कानून से ऊपर नहीं बल्कि कानून का पालन करने के लिए बाध्य होती है।

संघीय प्रणाली बनाम एकात्मक प्रणाली

संघीय सरकार	**एकात्मक सरकार**
दोहरी सरकार (अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार)	एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है, जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है।
लिखित संविधान।	संविधान लिखित भी हो सकता है (फ्रांस) या अलिखित (ब्रिटेन) भी।
राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन।	शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती है।
संविधान की सर्वोच्चता।	संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है (जापान) और नहीं भी (ब्रिटेन)।
कठोर संविधान।	संविधान कठोर भी हो सकता है (फ्रांस) या लचीला (ब्रिटेन) भी।
स्वतंत्र न्यायपालिका।	न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है नहीं भी।
द्विसदनीय विधायिका।	विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है (ब्रिटेन) और एक सदनीय (चीन) भी।

संविधान की संघीय विशेषताएँ

- **द्वैध राजपद्धति:** केन्द्र और राज्य दोनों को संविधान द्वारा अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
- **संविधान की सर्वोच्चता:** केन्द्र सरकार और राज्यों द्वारा पारित कानूनों को संविधान की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए; अन्यथा, उन्हें उच्चतम न्यायलय या उच्च न्यायलय द्वारा अपनी न्यायिक समीक्षा शक्तियों का उपयोग करके अमान्य घोषित किया जा सकता है।
- **शक्तियों का विभाजन:** केन्द्र तथा राज्यों के बीच संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार शक्तियों का बँटवारा किया गया है।
    - **संघ सूची:** 98 विषय (मूलतः 97) जिन पर केवल केन्द्र क़ानून बना सकता है।
    - **राज्य सूची:** 59 विषय (मूलतः 66) जिन पर केवल राज्य क़ानून बना सकते हैं।
    - **समवर्ती सूची:** 52 विषय (मूलतः 47) जिन पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन असहमति की स्थिति में केन्द्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है।
    - **अवशेषीय विषय:** तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं, जिन पर केन्द्र क़ानून बना सकता है।
- **लिखित संविधान:** विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों और उनके प्रयोग की विवेचना करने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं (वर्तमान में 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं)।
- **कठोर संविधान:** संविधान इस हद तक कठोर है कि केवल केन्द्र और राज्य सरकारों की समान संस्तुति द्वारा ही संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत एवं सम्बंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य है।
- **स्वतंत्र न्यायपालिका:** उच्चतम न्यायलय के नेतृत्व में दो उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है:
    - **न्यायिक समीक्षा** की शक्ति के साथ **संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना;**
    - **केन्द्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना।**
- **द्विसदनीय विधायिका:** भारतीय संसद के दो सदन हैं: **राज्यसभा (उच्च सदन) और लोकसभा (निम्न सदन)**।
    - **राज्यसभा** भारतीय **संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व** करती है, जबकि **लोकसभा समग्र** रूप से **भारत** के लोगों **का** प्रतिनिधित्व करती है।

संविधान की एकात्मक विशेषताएँ

- **सशक्त केन्द्र:** केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का असमान विभाजन; मुख्यतया केन्द्र के पक्ष में।
    - **संघ सूची में** राज्य सूची की तुलना में **अधिक विषय** हैं।
    - **सबसे प्रासंगिक विषय** संघ सूची में रखे गए हैं।
    - केन्द्र के नियंत्रण में **समवर्ती सूची।**
    - केन्द्र - **अवशिष्ट शक्तियों का प्रभारी।**
- **राज्य अविनाशी नहीं:** भारत के राज्यों का क्षेत्रीय अखंडता पर कोई अधिकार नहीं है, उनके क्षेत्र, सीमाएँ, या नाम संसद द्वारा एकतरफा रूप से बदले जा सकते हैं।
- **एकल संविधान:** भारत में राज्यों को केन्द्र से अलग अपना संविधान बनाने की शक्ति नहीं है।

भारत का संविधान = केन्द्र + राज्यों का संविधान।

- **एकल नागरिकता:** कोई अलग राज्य नागरिकता नहीं दे सकता, बस एक ही भारतीय नागरिकता, भारत के सभी नागरिकों को सामान रूप से प्राप्त है।
- **संविधान का लचीलापन:** संविधान संशोधन की प्रक्रिया अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में कम कठोर है।
    - संविधान के अधिकांश भाग को संसद की एकतरफा कार्रवाई द्वारा या तो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
- **आपातकालीन उपबंध:** आपातकाल के दौरान सभी शक्तियाँ केन्द्र में समाहित होती हैं; राज्य पूरी तरह से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं।
- **एकीकृत न्यायपालिका:** न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका स्थापित है, जिसके अधीन राज्य के उच्च न्यायालय आते हैं। केन्द्र और राज्य दोनों कानूनों पर एक ही न्यायिक प्रणाली लागू है।
- **राज्य प्रतिनिधित्व की कोई समानता नहीं:** राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में किया जाता है, जिसकी सदस्यता 1 से 31 तक होती है।
- **अखिल भारतीय सेवाएँ:** केन्द्र सरकार और राज्यों में से प्रत्येक की अपनी लोक सेवाएँ हैं।
    - **केन्द्र और राज्यों द्वारा साझा की गई** अखिल भारतीय सेवाएँ **(आईएएस, आईपीएस और आईएफएस)।**
- **एकीकृत लेखा जाँच मशीनरी:** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के खातों की जाँच करते हैं। राष्ट्रपति राज्यों से परामर्श किए बिना उन्हें नियुक्त अथवाह बर्खास्त करता है।

- **राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार:** यदि राज्य सभा राष्ट्रीय हित में किसी प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो संसद राज्य सूची के किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकती है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति:** राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रह सकता है। वह केन्द्र एक एजेंट के रूप में काम करता है।
- **एकीकृत निर्वाचन मशीनरी:** चुनाव आयोग, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यों का इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, केन्द्र और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करता है।
- **राज्यों के विधेयकों पर वीटो:** राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित कुछ विधेयकों को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
    - **राष्ट्रपति इन विधेयकों पर वीटो कर सकता है**।

संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन

- **के.सी. व्हेयर:** भारत के संविधान को **"अल्प-संघीय"** रूप में वर्णित किया।
    - उन्होंने टिप्पणी की कि भारतीय संघ सहायक एकात्मक विशेषताओं वाले संघीय राज्य के बजाय सहायक संघीय सुविधाओं वाला एकात्मक राज्य है।
- **के संथानम:** संविधान के एकात्मक होने के लिए 2 कारक जिम्मेदार हैं:
    - **वित्तीय क्षेत्र में केन्द्र का प्रभुत्व** और केन्द्रीय **अनुदान पर राज्यों की निर्भरता**;
    - तत्कालीन **योजना आयोग का उदय** जिसने राज्यों में विकास प्रक्रिया को नियंत्रित किया।
        - उन्होंने कहा: "भारत एक तरफ तो **एकल व्यवस्थागत देश** है फिर भी **केन्द्र और राज्य अपना कार्य** विधिक और औपचारिक रूप से **संघीय रूप में** करते हैं।"

<u>राजनीतिक वैज्ञानिक जो उपरोक्त विवरणों से असहमत हैं:</u>

- **पॉल एप्पलबी:** भारतीय प्रणाली को **पूर्णतया संघीय** बताया है।
- **मॉरिस जोन्स:** एक प्रकार का **सहमति वाला संघ**।
- **आइवर जेनिंग्स:** एक **मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ।**
- **ग्रेनविल ऑस्टिन:** भारतीय संघवाद को **सहकारी संघवाद** कहा।
    - **उनके विचार:** यद्यपि भारत के संविधान ने **मजबूत केन्द्र** सरकार का निर्माण किया है तथा इसके **राज्यों को भी कमजोर नहीं** किया गया है। यह एक **नये प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषताओं को पूरा करता है।**
- **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** "संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राजपद्धति। **केन्द्र राज्यों का संघ नहीं है, जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो। न ही राज्य 'संघ की ऐजेंसियाँ' हैं।** संघ एवं राज्यों दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है। दोनों की शक्तियाँ संविधान में निहित हैं।"

बोम्मई मामला (1994): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान संघीय है और संघीय विशेषता इसकी 'मूल विशेषता' है।

भारत में संघीय व्यवस्था निम्नलिखित **दो संघर्षों के बीच की सहमति का प्रतिनिधित्व** करती है:

- **सामान्यत: शक्तियों का विभाजन :** इसके अंतर्गत राज्यों को अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है।
- असाधारण परिस्थितियों में **राष्ट्रीय अखंडता और एक मजबूत केन्द्र सरकार की आवश्यकता**।

भारतीय राजपद्धति के निम्नलिखित कार्य **संघीय व्यवस्था के द्योतक** है

- **राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद:** उदाहरण- बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य विवाद;
- **राज्यों के बीच नदी जल के बँटवारे का विवाद:** उदाहरण: कावेरी नदी जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवाद;
- राज्यों की सत्ता में क्षेत्रीय दलों का उदय: उदाहरण: आँध्रप्रदेश, तमिलनाडु आदि।
- **क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन:** (जैसे तेलंगाना)
- केन्द्र से **राज्यों द्वारा विकासात्मक** जरूरतों को पूरा करने के लिए **वित्तीय अनुदान की माँग करना**;
- केन्द्र से **राज्यों द्वारा स्वायत्तता का दावा करना;**
- **केन्द्र द्वारा अनुच्छेद 356** (राज्यों में राष्ट्रपति शासन) **के उपयोग का सीमांकन।**

4 CHAPTER केन्द्र राज्य संबंध

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के **भाग XI में अनुच्छेद 245 से 293** के तहत वर्णित है:
  - विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255)

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 245	संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा।
अनुच्छेद 246	संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु
अनुच्छेद 247	कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 248	कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ।
अनुच्छेद 249	राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 250	राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति यदि आपातकाल की उद्घोषणा हो गई है।
अनुच्छेद 251	अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति।
अनुच्छेद 252	सहमति से दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना।
अनुच्छेद 253	अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून।
अनुच्छेद 254	संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति।
अनुच्छेद 255	सिफारिशों और पूर्व प्रतिबंधों के संबंध में अपेक्षाएँ केवल प्रक्रिया के मामलों के रूप में मानी जानी चाहिए।

  - प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263)
  - वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 268-293)

विधायी संबंध

केन्द्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

केन्द्र-राज्य विधायी संबंधों के 4 पहलु:

- केन्द्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र
- विधायी विषयों का बँटवारा
- राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान
- राज्य विधान पर केन्द्र का नियंत्रण

केन्द्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार

- **केन्द्र की शक्ति:** संसद देश के समस्त या किसी क्षेत्र विशेष पर लागू होने वाले कानून बना सकता है।
- **राज्य की शक्ति:** राज्य विधायिका पूरे राज्य या उसके किसी क्षेत्र विशेष पर ही लागू होने वाले कानून बना सकती है।
- **अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान:** केवल संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है जो विश्व में हर जगह भारतीय लोगों और उनकी सम्पति पर लागू होता है।
- **संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं:**
  - राष्ट्रपति के पास **कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम जारी करने का अधिकार है। (जैसे: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लद्दाख।)**
    - इसके लिए बना विनियमन, संसदीय अधिनियम के समान प्रयोज्य और प्रभावी होता है।
    - संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकता है।
  - **राज्यपाल के पास यह निर्देश देने का अधिकार है** कि एक संसदीय अधिनियम राज्य के एक निश्चित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, या यह कुछ परिवर्तनों और बहिष्करणों के साथ लागू होता है।
  - **असम के राज्यपाल भी यह निर्देश दे सकते हैं** कि संसद का एक अधिनियम **राज्य में एक आदिवासी क्षेत्र (स्वायत्त जिले) पर लागू नहीं होता है** या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू नहीं होता है।
    - जब **मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों (स्वायत्त जिलों) की बात आती है, तो राष्ट्रपति के पास समान अधिकार होते हैं।**

विधायी विषयों का वितरण

- **सातवीं अनुसूची** के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के **त्रिस्तरीय वितरण का प्रावधान** है:

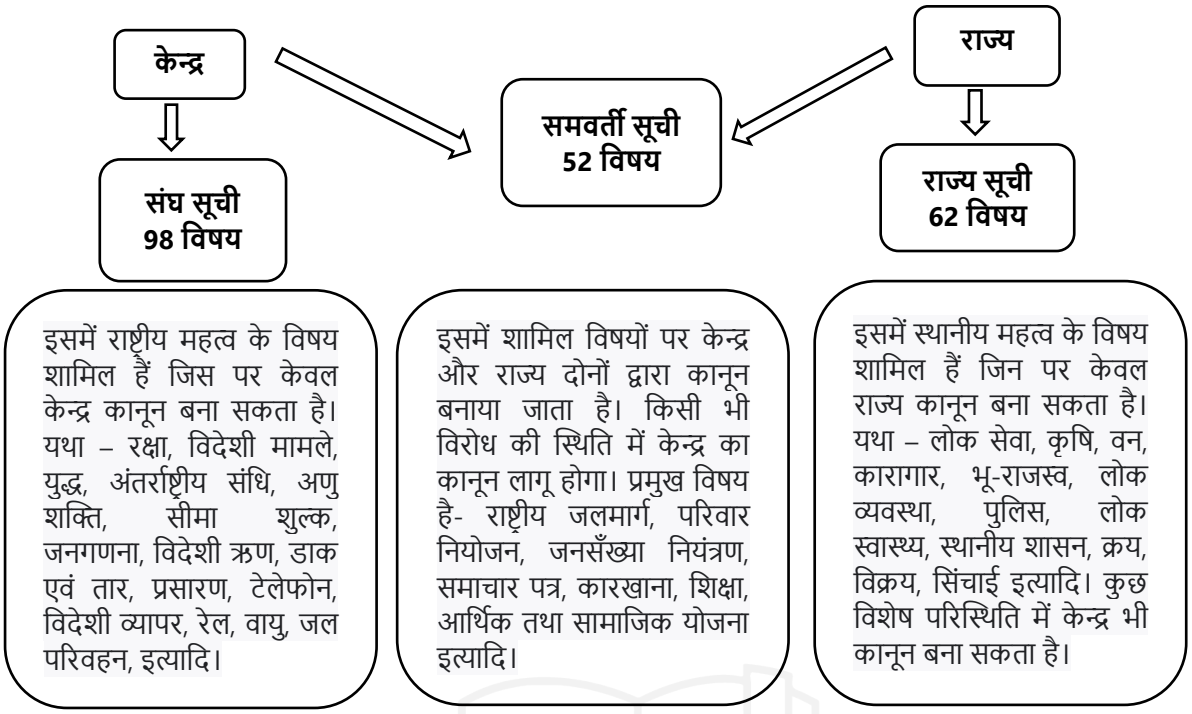

42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:
राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय।

1. शिक्षा,
2. वन,
3. नाप और तौल,
4. वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण,
5. न्याय का प्रशासन; (संविधान और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का संगठन)।

2016 का 101वाँ संशोधन अधिनियम: जीएसटी के लिए विशेष प्रावधान

- संसद और राज्य विधानसभाओं को संघ या राज्य द्वारा लगाए गए वस्तु और सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
- वस्तु और सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है, चाहे उत्पाद या सेवाएं, या दोनों, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति की जाती हो।

अवशिष्ट विषय

- **संसद को कानून बनाने का अधिकार है (अर्थात वे विषय जो तीन सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं)।**
  - इसमें अवशिष्ट कर लगाने की क्षमता भी शामिल है।
- संसद के पास भारत के किसी भी ऐसे हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है जो किसी राज्य **(केन्द्र शासित प्रदेशों या अधिग्रहित क्षेत्रों) में शामिल नहीं है।**

राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान

5 असामान्य स्थितियाँ - संविधान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून पारित करने के लिए अधिकृत करता है।

1. **जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे:**
   - यदि राज्यसभा यह घोषित कर दे कि **संसद के लिए राज्य सूची के किसी विषय** के संबंध में कानून बनाना **राष्ट्रीय हित में आवश्यक** है, तो संसद को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त होता है।
   - **समर्थन:** इस प्रस्ताव को **उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई** के द्वारा समर्थन अनिवार्य।
   - **वैधता - 1 वर्ष तथा असीमित बार नवीनीकृत किया जा सकता है,** लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं।
   - **राज्य विधानमंडल पर प्रभाव:** कोई प्रभाव नहीं, परन्तु समान विषय पर राज्य एवं केन्द्र के कानूनों के बीच मतभेद होने पर केन्द्रीय क़ानून मान्य होंगे।
2. **राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान:**
   - संसद जीएसटी और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करती है।
   - **वैधता:** आपातकाल की **समाप्ति के छह महीने बाद** तक**।**
   - **राज्य विधानमंडल पर प्रभाव:** कोई प्रभाव नहीं, परन्तु समान विषय पर राज्य एवं केन्द्र कानूनों के बीच मतभेद होने पर केन्द्रीय क़ानून मान्य होंगे।

3. **राज्यों के अनुरोध की अवस्था में:**
   - **संसद राज्य सूची में किसी मुद्दे को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है** यदि **दो या दो से अधिक राज्यों की विधायिकाएँ उन प्रस्तावों को मंजूरी दे,** जिनमें संसद से इस पर कानून बनाने का अनुरोध किया गया हो।
     - यह क़ानून **केवल उन राज्यों पर लागू** होता है **जिन्होंने प्रस्ताव पारित किए** हैं।
   - कोई भी अन्य राज्य, बाद में अपनी विधायिका में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करके इसे अपना सकता है।
   - **संशोधन का अधिकार:** केवल संसद के पास।
   - **राज्य विधानमंडल पर प्रभाव:** प्रस्ताव द्वारा पारित विषयों पर क़ानून बनाने की शक्ति समाप्त, शक्ति केवल संसद के पास।
     - **उदाहरण:** पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955; वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976; और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
4. **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए:**
   - संसद राज्य सूची में किसी भी विषय पर **अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों को लागू** करने के लिए कानून पारित कर सकती है।
   - केन्द्र सरकार को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति देता है।
   - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947; जिनेवा कन्वेंशन एक्ट, 1960; अपहरण विरोधी अधिनियम, 1982 और पर्यावरण और ट्रिप्स (TRIPS) से संबंधित विधान।
5. **राष्ट्रपति शासन के दौरान:**
   - जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो **संसद** को उस राज्य के लिए **राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार** मिल जाता है।
   - **वैधता:** राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावी रहता है।
   - **राज्य विधानमंडल पर प्रभाव:** राज्य ऐसे कानून को निरस्त, संशोधित या पुन: अधिनियमित कर सकते है।

राज्य विधान पर केन्द्र का नियंत्रण

- **राज्यपाल** कुछ विधेयकों को **राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जिस पर** राष्ट्रपति को **विशेष वीटो की शक्ति** प्राप्त है।
- **राज्य सूची के कुछ विशिष्ट विषयों पर** विधेयक लाने के लिए **राष्ट्रपति** की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
- **वित्तीय आपातकाल के दौरान, केन्द्र राज्यों को राष्ट्रपति द्वारा समीक्षा के लिए राज्य** विधानसभाओं द्वारा पारित धन या वित्त विधेयकों को सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है।

प्रशासनिक संबंध

कार्यकारी शक्तियों का वितरण

- विधायी शक्ति वितरण की तर्ज पर **केन्द्र और राज्यों के बीच कार्यकारी अधिकार वितरित** किए जाते हैं।

अनुच्छेद	प्रावधान
256	राज्यों और संघ के दायित्व।
257	कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
258	कतिपय मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति
258-ए	राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति
260	भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र।
261	सार्वजनिक क्रियाकलाप, अभिलेख और न्यायिक प्रक्रियाएँ।
262	अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायिक निर्णय।
263	अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान

- **केन्द्र की कार्यकारी शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत है**
  - **संघ सूची के विषय:** संसद के पास विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  - **राज्य सूची के विषय:** राज्य विधायिका के पास एकमात्र विधायी अधिकार है

राज्यों और केन्द्र के दायित्व

- संविधान **राज्य कार्यकारी शक्तियों पर 2 सीमाएँ लगाता है।**
  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि **संसद द्वारा पारित कानूनों और राज्य में प्रभावी किसी भी अन्य कानूनों का पालन किया जाता है।** (राज्य पर साधारण दायित्व)
  - **राज्य में केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा नहीं डालना।** (राज्य पर विशेष दायित्व)

अर्थात्:
- केन्द्र के कानूनों को राज्यों के कानूनों पर अधिक महत्त्व;
- अगर राज्य ऐसा करने में असफल रहता है तो, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

राज्यों को केन्द्र का निर्देश

- निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्य की कार्यकारी शक्ति को उपयोग के लिए निर्देश दे सकता है:
  - **संचार के साधनों** का निर्माण और रखरखाव;
  - राज्य में **रेलवे की सुरक्षा** के लिए कदम उठाए;
  - राज्य में **भाषाई अल्पसंख्यक समूहों** के बच्चों **को प्राथमिक स्तर पर** शिक्षा के लिए **मातृभाषा में शिक्षण** के लिए उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करना;
  - राज्य में **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं का** निर्माण और **कार्यान्वयन**।

कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधिमंडल

- विधायी शक्तियों का **विभाजन कठोर** है; कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा बँटवारा टकराव को जन्म दे सकता है।
- **संविधान** कठोरता को कम करने और गतिरोध से बचने के लिए **कार्यकारी अंतर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल** की अनुमति देता है**।**
  - **राष्ट्रपति** राज्य सरकार की सहमति से केन्द्र के कार्यकारी कार्य को राज्य को सौंप सकता है।
  - **राज्य का राज्यपाल** केन्द्र सरकार की सहमति से राज्य के कार्यकारी कार्य करता है।

केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग

- **संसद** किसी भी **अंतर्राज्यीय नदी** और नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण और प्रबंधन से संबंधित **विवाद के समाधान के लिए प्रावधान कर** सकती है।
- **अनुच्छेद 263 -** राष्ट्रपति केन्द्र और राज्यों के बीच पारस्परिक हित के विषयों पर शोध और चर्चा करने के लिए एक अंतर-राज्य परिषद् का गठन कर सकते हैं। 1990 ई. में इस प्रकार की परिषद् गठित की गयी थी।
- केन्द्र और राज्यों के **लोक अधिनियमों, रिकोर्डों और न्यायिक प्रक्रियाओं को** पूरे भारत के क्षेत्र में **पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाना चाहिए**।
- **संसद के पास अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर्संबंध से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों** को पूरा करने **के लिए** एक उपयुक्त **प्राधिकरण का गठन** करने **का अधिकार** है। हालाँकि, अभी तक ऐसा कोई प्राधिकरण स्थापित नहीं किया गया है।

अखिल भारतीय सेवाएँ

- केन्द्र और राज्य इन सेवाओं का नियंत्रण साझा करते हैं।
- **केन्द्र सरकार अंतिम नियंत्रण रखती** है, लेकिन **राज्य सरकारें प्रत्यक्ष** नियंत्रण रखती हैं।
- **अखिल भारतीय सेवाएँ राज्य की संप्रभुता और संरक्षण को** सीमित करके संविधान की संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन करती हैं।
- **निम्नलिखित आधारों पर न्यायोचित:**
  - केन्द्र और राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में;
  - देश भर में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में;
  - केन्द्र और राज्यों के सामूहिक हितों के सम्बन्ध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में।

लोक सेवा आयोग

- **राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा** की जाती है और **निष्कासन केवल राष्ट्रपति द्वारा** किया जा सकता है।
- राज्यों के अनुरोध पर, **संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन** कर सकती है।
- राज्यपाल के अनुरोध और राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ **UPSC राज्य के लिए कार्य कर सकता है।**
- **UPSC** योजनाओं के क्रियान्वयन, भरती आदि के लिए **राज्यों की सहायता करता है।**

एकीकृत न्याय व्यवस्था:

- संविधान ने **एकीकृत न्याय व्यवस्था** की स्थापना की है, जिसके **शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय** होता है।
- केन्द्र तथा राज्य दोनों के **विधानों को इस न्याय व्यवस्था के द्वारा सुनिश्चित** किया जाता है।
- **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा** सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के **राज्यपाल के परामर्श से** की जाती है।
- **संसदीय विधान द्वारा** दो या दो से **अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय** की स्थापना कर सकती है।
- **आपातकालीन अवधि में सम्बन्ध:**
  - **अनुच्छेद 352** के अंतर्गत राज्य पूर्णतया केन्द्र के अधीन हो जाते हैं।
  - **अनुच्छेद 356** के अंतर्गत राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है।
  - **अनुच्छेद 360** के अंतर्गत केन्द्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है
- **अन्य उपबंध:**
  - **अनुच्छेद 355** के अंतर्गत केन्द्र बाह्य आक्रमण एवं आतंरिक अशान्ति से राज्य की रक्षा करता है और यह राज्य की संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
  - राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है।
  - राष्ट्रपति राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से निष्कासित कर सकता है।

वित्तीय संबंध

अनुच्छेद	प्रावधान
268	संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किए गए कर्त्तव्य।
269	संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर लेकिन राज्यों को सौंपे गए
270	संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित किए गए कर।
273	जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान।
275	संघ से कुछ राज्यों को अनुदान।
276	व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर।
279	'शुद्ध आय' आदि की गणना।

280	वित्त आयोग।
282-290	विविध वित्तीय प्रावधान
292	भारत सरकार द्वारा ऋण।
293	राज्यों द्वारा ऋण।

- भारत के **संविधान के भाग XII के अनुच्छेद 268 से 293 तक।**
- केन्द्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

कर शक्तियों का आवंटन

- **संघ सूची:** केवल संसद के पास विशेष कर क्षेत्राधिकार है (जो संख्या में 13 हैं)।
- **राज्य सूची:** केवल राज्य विधायिका के पास कर लगाने का अधिकार है। (सूची में 18विषय)
- **समवर्ती सूची:** कोई कर योग्य विषय नहीं।

अपवाद:

- **101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016: वस्तु और सेवा कर** के लिए एक अनूठा प्रावधान स्थापित करते हुए छूट प्रदान की गई।
- इस संशोधन द्वारा **संसद और राज्य विधानसभाओं को वस्तु और सेवा कर** को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने की समवर्ती क्षमता प्रदान की गई है।
- **अवशिष्ट शक्ति: संसद को (यानी, कर लगाने की क्षमता जो तीन सूचियों में से किसी में भी सूचीबद्ध नहीं है)।** संसद ने इसके तहत उपहार, धन और व्यय कर लगाया है।

राज्य का कर शक्ति पर प्रतिबंध

- व्यवसायों और कॉलिंग पर सभी पर राज्य विधायिका द्वारा कर लगाया जा सकता है। **किसी भी व्यक्ति को प्रति वर्ष ऐसे करों में 2,500 से अधिक का भुगतान नहीं** करना चाहिए।
- **राज्य विधायिका को निम्नलिखित** दो स्थितियों में वस्तुओं या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति पर कर लगाने **से मना किया गया है:**
  - **जब आपूर्ति राज्य के बाहर होती है;**
  - **जब आपूर्ति आयात या निर्यात प्रक्रिया के दौरान होती है।**
- संसद के पास यह पहचानने के लिए मानक स्थापित करने का अधिकार है कि वस्तु या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति, राज्य के बाहर होती है, या वस्तुओं या सेवाओं के आयात या निर्यात के दौरान होती है।
- बिजली के उपयोग या बिक्री पर राज्य विधायिका द्वारा कर लगाया जा सकता है।
- **हालाँकि, ऊर्जा के उपयोग या बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है जो कि:**
  - **केन्द्र द्वारा उपभोग या बेचा गया हो;**
  - **किसी भी रेलवे के भवन के रखरखाव या संचालन में केन्द्र या संबंधित रेलवे कंपनी द्वारा उपभोग किया जाता है, या उसी उद्देश्य के लिए केन्द्र या रेलवे कंपनी को बेचा जाता है।**
- एक **राज्य विधायिका किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के प्रबंधन या विकास के उद्देश्य से संसद** द्वारा बनाए गए किसी भी प्राधिकरण द्वारा **संग्रहित, उत्पन्न, उपभोग, वितरित, या बेचे** गए किसी भी पानी या बिजली पर कर लगा सकती है।
- **प्रभावी होने के लिए, ऐसे कानून को राष्ट्रपति की समीक्षा और अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए।**

कर राजस्व का वितरण

- **80वाँ संशोधन अधिनियम, 2000 और 101वाँ संशोधन अधिनियम 2016 -** केन्द्र और राज्यों के बीच कर आय के बँटवारे की संशोधित संरचना।

80वाँ संशोधन अधिनियम 2000:

- 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना।
  - राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय करों और शुल्कों से उत्पन्न 29% धन मिलता है।
  - 'परिवर्तन की वैकल्पिक योजना,'
  - 1 अप्रैल, 1996 को भूतलक्ष्यी प्रभाव से लागू हुआ।
- आयकर (कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर) के समतुल्य निगम कर और सीमा शुल्क जैसे कई केन्द्रीय कर और लेवी लाए।

101वाँ संशोधन अधिनियम 2016:

- देश में एक नई कर व्यवस्था (यानी, वस्तु और सेवा कर या जीएसटी) के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया।
- संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती कराधान अधिकार दिए, जिससे उन्हें वस्तुओं या सेवाओं, या दोनों के प्रावधान से जुड़े हर लेनदेन पर जीएसटी लगाने वाला कानून पारित करने की अनुमति मिली।
- जीएसटी ने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली, जिसका लक्ष्य टैक्स कैस्केडिंग को खत्म करना और वस्तुओं व सेवाओं के लिए एक एकल राष्ट्रीय बाजार बनाना था।

सम्मिलित केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और शुल्क:

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,
- औषधीय और शौचालय की तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क,
- सेवा कर,
- अतिरिक्त सीमा शुल्क / प्रतिकारी शुल्क,
- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क,
- केन्द्रीय अधिभार और उपकर

सम्मिलित राज्य अप्रत्यक्ष कर और शुल्क:

- राज्य मूल्य वर्धित कर / बिक्री कर,
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अलावा),
- केन्द्रीय बिक्री कर (केन्द्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है),
- चुंगी और प्रवेश कर,
- खरीद कर,
- लक्जरी टैक्स,
- लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर,
- राज्य अधिभार और उपकर

केन्द्र द्वारा उद्गृहीत लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित कर (अनुच्छेद 268)

- **विनिमय, चेक, वचन-पत्र, बीमा पॉलिसियों, शेयर हस्तांतरण, और अन्य मदों के बिलों पर** स्टाम्प कर शामिल हैं।
- एक राज्य के भीतर एकत्र किए गए इन **शुल्कों की कमाई उस राज्य को आवंटित की जाती है, न कि भारत की संचित निधि को।**

संघ द्वारा उद्गृहीत एवं एकत्रित लेकिन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर (अनुच्छेद 269)

- **अंतर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार में वस्तुओं (समाचार पत्रों के अलावा) की बिक्री या अधिग्रहण पर कर।**
- **अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में** प्रेषित उत्पादों पर कर।
- इन **करों का शुद्ध लाभ भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया जाता है।**
- **स्थापित सिद्धांतों के अनुसार संबंधित राज्यों को आवंटित।**

अनुच्छेद 269-A: अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जीएसटी का अधिरोपण और संग्रहण:

- **केन्द्र द्वारा लगाए गए अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के** दौरान की गई आपूर्ति पर **वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)।**
- जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा निर्दिष्ट केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजन।
- **अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की** आपूर्ति कहाँ होती है, इसकी पहचान करने के लिए संसद के पास मानक स्थापित करने का अधिकार है।

केन्द्र द्वारा उद्गृहीत और एकत्रित तथा केन्द्र और राज्यों के मध्य वितरित कर (अनुच्छेद 270)

- संघ सूची में उल्लिखित सभी कर और शुल्क शामिल हैं,
- **अनुच्छेद 268, 269, और 269-Aकर्तव्यों और करों से संबंधित है।**
- **अनुच्छेद 271 में वर्णित करों और शुल्कों पर अधिभार**
- किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कोई विशेष कर।
- **राष्ट्रपति, वित्त आयोग के प्रस्ताव पर, यह निर्धारित करता** है कि विभिन्न करों और शुल्कों की शुद्ध आय कैसे वितरित की जाती है।

कुछ शुल्कों और करों पर संघ प्रायोजनों पर अधिभार (अनुच्छेद 271)

- संसद अ**नुच्छेद 269 और 270 में उल्लिखित करों** और **शुल्कों पर किसी भी समय** अधिभार लगा सकती है।
- ऐसे अधिभारों का लाभ पूरी तरह केन्द्र को भेजा जाता है व **राज्य किसी भी अधिभार के लिए ज़िम्मेदार नहीं होते हैं।**
- जीएसटी पर लागू नहीं होता है।

राज्यों द्वारा उद्गृहीत, संगृहीत एवं उपभोग किये जाने वाले कर

- पूर्णतया राज्य कर
- राज्य सूची में उल्लेखित विषय
- भू राजस्व;
- कृषि आय पर कर;
- कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में कर्त्तव्य;
- कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क;
- भूमि और भवनों पर कर;
- खनिज अधिकारों पर कर;
- मानव उपभोग के लिए मादक शराब पर उत्पाद शुल्क; अफीम, भारतीय भांग और अन्य मादक दवाएं और नशीले पदार्थ, लेकिन इसमें एल्कोहल या नशीले पदार्थों से युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर नहीं;
- खपत या बिक्री या बिजली पर कर;
- पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक शराब की बिक्री पर कर, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य या बिक्री के दौरान ऐसे माल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है;
- सड़क या अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर; वाहनों पर कर;